



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : एफ1(2070)आ.उ./पीएडी अनु./से. नि./2018

दिनांक : 04-11-2019

:: आदेश ::


इस विभाग में मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के निम्नांकित राजपत्रित अधिकारी को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से कार्यमुक्ति आदेश जारी करेंगे :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री राकेश पाल सिंह	अतिरिक्त निजी सचिव	मुख्यालय, जयपुर	10.06.1960	30.06.2020

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.15 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियों विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना होगा।


(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

P.T.O.




राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : एफ1(2070)आ.उ./पीएडी अनु./से. नि./2018

दिनांक : 04-11-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, संस्थापन/सतर्कता/कम्प्युटर, मुख्यालय, जयपुर।
3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी
8. रक्षित पत्रावली।


(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
म.प्र. (प्रशासन)